संख्या-64 /2023/2348/26-3-2023- 1572678

प्रेषक,

डॉ0 हरिओम
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2023**

विषयः- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-161/2017/44वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93 टी.सी. दिनांक 12-10-2017, शासनादेश संख्या-166/2018/2337/26-3-2018-4(188)/93टी.सी. दिनांक 08-08-2018 एवं शासनादेश संख्या-40/2019/625/26-3-2019-4(188)/93टी.सी. दिनांक 06-02-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं, के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म-समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्गों के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत दिशा-निर्देश/नीति निर्गत की गयी थी। शासनादेश संख्या-161/2017/44वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93टी.सी. दिनांक 12-10-2017 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में उक्त योजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आदि आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने पर तदनुसार अलग से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर/पोर्टल विकसित कर लिये जाने के उपरान्त आपके पत्र संख्या-666/स0क0/ विकास/ मु0मं0स0वि0यो0/शासनादेश/16/2023-24, दिनांक-19.07.2023 एवं पत्र संख्या-738/ स0क0/ विकास/ मु0मं0स0 वि0 यो0/शासनादेश/16/2023-24, दिनांक-26.07.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत उक्त समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदकों की पात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें :-

(i) कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों ।

(ii) कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो ।

(iii) आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 लाख तक होगी ।

(iv) विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो । आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे ।

(v) कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो ।

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(vii) विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

(2)- कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्थाएं :-

(i) नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम)

(ii) क्षेत्र पंचायत

(iii) जिला पंचायत

(iv) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण/नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जायेगा ।

(v) कार्यक्रम के आयोजन हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विवाह कार्यक्रम समिति गठित की जायेगी। समिति द्वारा ही विवाह कार्यक्रम के लिये स्थल चयन, टेन्ट की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, पेयजल व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, विवाह संस्कार, अतिथियों के लिये सत्कार आदि की व्यवस्था की जायेगी । समिति विवाह कार्यक्रम के लिये शुभ लग्नानुसार तिथि निर्धारित करेगी और तिथि व कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करेगी। निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा भी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में शुभ लग्नानुसार समारोह के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेण्डर व एस.ओ.पी. जारी किया जाएगा ।

(vi) समिति द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन समारोह में सम्मिलित होने वाले युगलों को आशीर्वचन देने हेतु मा0 जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा ।

(3)-<u>योजना हेतु व्यय-भारः-</u>

(i) कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया-35,000/-(रू0 पैंतीस हजार मात्र) कन्या के खाते में अंतरित की जायेगी, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलें में सहायता राशि रूपया-40000/-(रू0 चालीस हजार मात्र) होगी।

(ii) धनराशि रूपया 10,000/-(रू0 दस हजार मात्र) मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री यथा- कपड़े (साड़ी-02 (5.50 मी. प्रत्येक, कढ़ाईयुक्त उत्तम गुणवत्ता की), ब्लाउज-02, पेटीकोट-02, चुनरी-2.25 मी., पैन्ट का कपड़ा-1.20 मी., शर्ट का कपड़ा-2.25 मी., पगड़ी, फेंटा/बड़ा गमछा-2.00 मी.), चाँदी की बिछिया-01 जोड़ी (10 ग्राम-70 टन्च) व पायल-01 जोड़ी (30 ग्राम-70 टन्च), स्टील डिनर सेट-न्यूनतम 8 किलोग्राम तक का, प्रेशर कुकर (आई.एस.आई. मार्क-05 लीटर), ट्राली बैग (ब्राण्डेड), वैनिटी किट, दीवार घड़ी आदि। विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में धनराशि रूपया-5000/-(रू0 पाँच हजार मात्र) तक की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जायेगी ।

(iii) कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रूपया-6,000/- प्रति जोड़ा व्यय किया जायेगा ।

(iv) एक जोड़े पर कुल रुपया-51,000/- (रू0 इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि का व्ययभार आयेगा । सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े होंगे ।

(v) विवाह उपहार के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय जेम-पोर्टल/ई-टेण्डर से करने के उपरान्त यदि न्यूनतम बिड 10 हजार रूपये से कम आती है तो अन्तर की धनराशि से प्रस्तर-5 में अंकित समिति द्वारा अतिरिक्त उपहार सामग्री क्रय कर कन्या को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(vi) सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु गठित विवाह समिति स्वयंसेवी संस्थाओं तथा समाज के संभ्रात व्यक्तियों से भी दान स्वरूप धनराशि प्राप्त कर सकती हैं, जिसका विवरण सम्बन्धित नगर निकाय/विकास खण्ड/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पृथक रजिस्टर में रखा जायेगा ।

(vii) निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जायेगा। जनपद स्तर से जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि लाभार्थियों व फर्मों/संस्थाओं को अन्तरित की जायेगी ।

(4)- योजना हेतु लक्ष्य निर्धारणः-

निदेशालय द्वारा योजना के अन्तर्गत जनपद की कुल जनसंख्या तथा जनपद में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर लाभार्थियों का औसत लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जायेगा । आवंटित लक्ष्य के 50 प्रतिशत की राशि अप्रैल माह में जनपद को अवमुक्त कर दी जायेगी। यदि किसी जनपद में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जिलाधिकारी द्वारा कारण सहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए लक्ष्य को कम करने का अनुरोध किया जाता है तो निदेशालय द्वारा विचारोपरांत उक्त जनपद के अवशेष लक्ष्य व धनराशि को किसी अन्य जनपद में आवश्यकतानुसार पुनर्आवंटित किया जा सकेगा, परन्तु उक्त अवशेष लक्ष्य व धनराशि को वित्तीय वर्ष के 06 माह के पूर्व आवंटित नहीं किया जायेगा। जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा विकास खण्ड व नगरीय निकायों हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा ।

(5)- आयोजन हेतु सामग्री/सेवाओं का क्रयः-

सामूहिक विवाह में युगलों को दी जाने वाली उपहार सामग्री हेतु फर्मों/संस्थाओं का चयन जनपद स्तर पर गठित समिति, प्रस्तर-3 में निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता के आधार पर, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए करेगी । उक्त प्रक्रिया में फर्मों/संस्थाओं का चयन ई-टेण्डरिंग/जेम-पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा ।

कार्यक्रम के आयोजन पर किये जाने वाले व्यय यथाः-वधू को उसके विवाह के पश्चात एलबम सहित 05 फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना, टेन्ट, सजावट, कार्यक्रम स्थल पर आवश्यकतानुसार दो से चार बड़ी स्क्रीन वाली एल.ई.डी. की स्थापना जिस पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जायेगा (100 या अधिक युगलों पर), बैनर, मंच, ध्वनि विस्तारक, वर-वधू व उनके पक्ष के 10-10 व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था, विवाह कार्यक्रम प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त आगंतुकों हेतु जल-पान की समुचित व्यवस्था, कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात नव-दम्पती को 01 किलोग्राम मिष्ठान उपलब्ध कराना, वैवाहिक संस्कार सामग्री, फोटोग्राफी, वीडियो ग्राफी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जो अनिवार्य रूप से किया जाना है, के लिये जिलाधिकारी प्रति वर्ष जेम-पोर्टल/ई-टेण्डर द्वारा अपने जिले के लिए दरें निर्धारित कर सकेंगे। दरों का निर्धारण शासकीय नियमों में दी गयी प्रक्रिया के तहत किया जायेगा । इस हेतु विवाह कार्यक्रम समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः-

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य
उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/	सदस्य

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त गठित समिति में 02 महिला अधिकारी सम्मिलित होंगी। उपरोक्त पदों के सापेक्ष महिला अधिकारी न होने की स्थिति में जिलाधिकारी, जिले की महिला अधिकारियों को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में नामांकित करेंगे, जो कन्या के लिये क्रय की जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकें।

(6)-<u>धनराशि का प्राविधानः-</u>

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार अनुदान संख्या-80 के सुसंगत लेखाशीर्षक में आवश्यक धनराशि का आय- व्ययक में प्राविधान किया जायेगा ।

<u>(7)- सामूहिक विवाह हेतु आवेदन की प्रक्रियाः-</u>

(i) योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के उपरान्त लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा । अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

(ii) आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है ।

(iii) लोकवाणी के माध्यम से स्थापित जन-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा ।

(iv) ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट (Submit) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

(v) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा ।

(vi) आवेदन पत्र के साथ आवेदक, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है तथा उसके माता- पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र(अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) से सम्बन्धित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। वर का नाम, आयु व माता-पिता का नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (आवश्यकतानुसार) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकापी के साथ छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है, अतः विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा । परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को न्यायालयी आदेश की छायाप्रति आनलाइन अपलोड करना होगा । सी0बी0एस0 बैंक खाते के पासबुक (आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(vii) लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हैं तथा जिन्हें आई0एफ0एस0सी0 कोड प्रदत्त है तथा पी0एफ0एम0एस0 पर पंजीकृत हैं ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके ।

(viii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरांत संबंधित सेवा-प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदक को भरी गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी पढ़कर सुनाई जायेगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही उसके हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा के साथ आवेदन पत्र को सबमिट किया जायेगा। आवेदिका आवेदन की एक प्रति प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखेगी ।

(ix) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय आवेदिका को बिन्दु-7 में उल्लिखित आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र/आय से सम्बन्धित प्रपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जाति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा ।

(x) लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

(8)- जिला समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी/ नगर आयुक्त के दायित्वः-

(i) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से प्रत्येक कार्य दिवस में योजनान्तर्गत अपलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर उनका प्रिन्ट लिया जायेगा एवं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे विवरण का मिलान तथा हार्डकापी में प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र का मिलान 02 दिवस के अन्दर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेब साईट- https://bor.up.nic.in से किया जायेगा । मिलान करने पर विवरण सही पाये जाने के उपरान्त विवाह की तिथि तथा उक्त तिथि के समय आवेदक की आयु से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों, विधवा/परित्यक्ता होने की पुष्टि व बैंक विवरण की पुष्टि सम्बन्धी कार्यवाही हेतु ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्रों को सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त के लॉगिन आई0डी0 पर 02 दिवस के अंदर अनिवार्यतः अग्रसारित किया जायेगा।

(ii) अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से 03 दिवस के भीतर भौतिक सत्यापन में इस बिन्दु की जाँच की जायेगी कि आवेदिका द्वारा पूर्व में विवाह नहीं किया गया है एवं उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। सत्यापन में आवेदिका के बैंक खाते के विवरण की पुष्टि भी की जायेगी। आवेदिका के विधवा/परित्यक्ता होने की दशा में उसकी भी पुष्टि की जायेगी । विवरण की पुष्टि हो जाने एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेखों एवं प्रपत्रों के आधार पर आवेदकों के आवेदन पत्रों की संस्तुति/असंस्तुति की कार्यवाही अपने लॉगिन आई.डी./पासवर्ड से 02 दिवस के अन्दर ऑनलाइन सर्वर पर डिजिटल सिग्नेचर से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी जिला समाज कल्याण अधिकारी को मूलरूप में वापस की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी, स0क0/ग्राम विकास अधिकारी, स0क0 अथवा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सत्यापन का कार्य कराया जायेगा । नगरीय क्षेत्र में सत्यापन का कार्य समाज कल्याण सुपरवाइजर अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी द्वारा किया जायेगा ।

(iii) समयबद्ध कार्यवाही हेतु 10 दिवस के पश्चात लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी को अनुस्मारक भेजा जायेगा। तत्पश्चात कोई कार्यवाही न होने की स्थिति में 07 दिवस के उपरान्त पुनः द्वितीय अनुस्मारक भेजा जायेगा। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि में सम्बन्धित अधिशासी

अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति अथवा निरस्तीकरण की सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी को ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत की जायेगी तथा आवश्यक अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(iv) योजनान्तर्गत समयबद्ध ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से कराकर उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(v) खण्ड विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त के माध्यम से उपरोक्तानुसार ऑनलाइन सत्यापन के उपरान्त उपरोक्तानुसार डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन अग्रसारित आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर में यह व्यवस्था होगी कि पात्र अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर इवेन्ट जनरेट किया जायेगा। इवेन्ट जेनरेट करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जायेगा कि सामूहिक विवाह का आयोजन किस स्थल पर व किस दिनांक को कितने व किन लाभार्थियों का कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त कार्य शुभ लग्न व मुहूर्त के अनुसार 07 से 15 दिवस के अन्दर कराया जायेगा ताकि आयोजन सुचारू पूर्वक सम्पन्न हो सके। तत्सम्बन्ध में सम्बन्धित योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय समिति की बैठक कर हार्ड कापी पर समारोह के आयोजन (इवेन्ट) की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृति से सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित आवेदन-पत्रों को ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से पोर्टल पर प्रमाणित करना सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार जो आवेदक अपात्र पाये जायेंगे, उनका भी विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करते हुए पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से कारण सहित रिजेक्ट करना सनुश्चित करेंगे।

(vi) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों में से विधवा/परित्यक्ता के विवाह के मामलों में वरीयता दिये जाने के साथ-साथ प्रथम आगत प्रथम पावत के अनुसार सहायता स्वीकृत की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अभ्यर्थियों के प्रपत्रों के सत्यापन हेतु नामित सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाना अनिवार्य है।

(vii) सामूहिक विवाह के आयोजन (इवेन्ट) की स्वीकृति तथा समारोह के आयोजन के पश्चात सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान आवेदिका (कन्या) के बैंक खाते में एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा। कन्या के बैंक

खाते में धनराशि व उपहार सामग्री की धनराशि का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी/नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। समस्त धनराशियों के भुगतान के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। लाभार्थियों को भुगतानित धनराशि के अनुपात में ही उपहार सामग्री व आयोजन व्यवस्था से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान किया जायेगा। धनराशि का भुगतान ई-कुबेर कोषागार प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा ।

(9)-<u>धनराशि भुगतान की प्रक्रियाः-</u>

(i) योजनान्तर्गत प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(ii) सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थलों पर किया जायेगा ।

(iii) धनराशि भुगतान के पूर्व समाज कल्याण विभाग के विकास खण्ड/तहसील स्तर पर तैनात कर्मचारियों से यह प्रमाण-पत्र ले लिया जाये कि सामूहिक विवाह हेतु उपलब्ध करायी गयी उपहार सामग्री निदेशालय/जनपदीय समिति द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श (सैम्पल) के अनुरूप है तथा उपहार सामग्री सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित समस्त विवाहित युगलों को प्राप्त हो गयी है। आयोजन सुव्यवस्थित ढ़ंग से किया गया है एवं आवेदक तथा उनके परिजन विवाह समारोह के आयोजन से संतुष्ट हैं।

(iv) धनराशि भुगतान के पूर्व पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

(v) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत पात्र आवेदकों के आवेदन पत्रों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किया जा सकेगा ।

(vi) यदि किसी विशेष कारणवश विगत वित्तीय वर्ष की धनराशि व्यय नहीं हो पायी परन्तु सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया है तो जिलाधिकारी द्वारा उक्त विशेष कारण का उल्लेख करते हुए निदेशालय से देय धनराशि की मांग की जायेगी, जिस पर निदेशक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

(10)-<u>जनपद स्तरीय अनुश्रवण समितिः-</u>

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता हैः-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
नगर आयुक्त/अपर मुख्य अधिकारी (जि.प.), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	सदस्य
समस्त उप जिलाधिकारी	सदस्य
समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	सदस्य
उप/सहायक आयुक्त श्रम/श्रम विभाग के जनपद में तैनात अधिकारी	सदस्य

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय समिति में अन्य अधिकारियों को भी सम्बद्ध कर सकते हैं। समिति में मुख्यतः निम्नवत् बिन्दुओं पर विचार कर कार्यवाही की जाएगीः-

(i) जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(ii) सदस्य सचिव द्वारा जनपद स्तरीय समिति की बैठक में सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि, ऑनलाइन कुल प्राप्त आवेदन पत्र, भुगतान की गयी धनराशि, लाभार्थियों को सहायता स्वीकृति की स्थिति, सत्यापन की स्थिति तथा ऑनलाइन भरे गये आवेदन-पत्रों में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों की प्रगति आदि का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(11)-<u>विलम्ब की स्थिति में वांछित कार्यवाहीः-</u>

ऐसे सभी प्रकरण जहाँ ऑनलाइन अग्रसारित आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो जिलाधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारी के माध्यम से उन प्रकरणों की 15 दिनों के अंदर जांच कराकर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। विलंब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी सहित संबंधित नगर निकाय/विकास खण्ड में इस प्रयोजनार्थ नामित नोडल अधिकारी के विरूद्ध अग्रतर कार्यवाही

करना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय ।

(12)-<u>सामूहिक विवाह अनुदान स्वीकृति हेतु जनपद स्तरीय समिति</u>:-

सामूहिक विवाह अनुदान की धनराशि की स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

(i)जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
(ii)मुख्य विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष
(iii)प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय-	सदस्य
(iv)जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य सचिव

समिति के सदस्य-सचिव द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची सुसंगत सूचनाओं सहित तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपलब्ध बजट के सापेक्ष सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित पात्र युगलों की सूची पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

(13)- <u>अभिलेखों का रख-रखाव</u>:-

इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्न अभिलेखों का रख-रखाव अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा:-

(i) पोर्टल से डाउनलोडेड आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी एवं अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त आवेदन पंजी ।

(ii) जिला स्तरीय समिति के स्तर से स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की पंजी एवं पत्रावली।

(iii) भुगतान की गयी धनराशि के विवरण से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित पंजी ।

(iv) सामूहिक विवाह आयोजन के न्यूनतम 10 फोटोग्राफ्स जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर पर आयोजन तिथि व स्थलवार रक्षित किये जायेंगे । प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर उसे भी सॉफ्टकॉपी में सुरक्षित रखा जायेगा।

(v) सामूहिक विवाह में सम्मिलित युगलों का ऑनलाइन विवाह प्रमाण-पत्र जनरेट करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर उसे विवाहित युगल को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसकी एक प्रति कार्यालय के

अभिलेखों में रक्षित की जायेगी। विवाह प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर पूर्व से भी मुद्रित कराकर आवेदकों को दिया जा सकेगा।

(vi) योजनान्तर्गत रिकॉर्ड/अभिलेख 05 वर्षों तक सुरक्षित रखे जायेंगे ।

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी एवं संबंधित पंजिकाओं को अद्यतन संरक्षित करने तथा भुगतान के उपरान्त पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी लाभार्थियों की सूची से भुगतान पंजी को अद्यतन करने, संबंधित डेटा को एक्सटर्नल हार्ड-डिस्क में सुरक्षित रखने तथा ऑडिट कराने का दायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा ।

(14)-<u>योजना का प्रचार-प्रसारः-</u>

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपरोक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिसमें आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया के साथ-साथ पात्रता की शर्त, देय सहायता, आवेदन-पत्र भरने के समय आवश्यक प्रपत्रों आदि की विस्तृत जानकारी होगी। आवश्यकतानुसार होर्डिंग, पोस्टर, हैण्डबिल, पुस्तिका व एल.ई.डी. वैन आदि के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा सम्बन्धित प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय योजना के प्रशासकीय व्यय मद की धनराशि से किया जाएगा।

(15)-सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन में यथा संभव एक स्थल पर 200 से 250 युगलों का विवाह कराया जाये ताकि समारोह सुचारू पूर्वक एवं गरिमापूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हो सके। मा0 मुख्यमंत्री/मा0 उप मुख्यमंत्री व मा0 समाज कल्याण मंत्री के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रतिभागी युगलों की संख्या जिलाधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है। आमन्त्रित जन-प्रतिनिधियों के यथोचित स्वागत-सत्कार करने की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जायेगी ।

(16)-जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी एवं योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन करा दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। किसी भी तकनीकी समस्या का निराकरण, निदेशालय समाज कल्याण से समन्वय कर, कराना सुनिश्चित करेंगे ।

3- प्रश्नगत योजना के नियमों में यथावश्यक संशोधन करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 हरिओम)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-64/2023/2348 (1)/26-3-2023-तद्दिनांक-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त/श्रम/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- निजी सचिव, मा.राज्य मंत्री (स्व0प्र0) समाज कल्याण विभाग,उ.प्र.शासन।
4- निजी सचिव,मा. राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग , उ.प्र.शासन।
5- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 ।
8- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
9- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
10-समस्त मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
11-समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 ।
12-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) उ0प्र0 ।
13-निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0लखनऊ।
14-गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव